



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112023-250064  
CG-DL-E-16112023-250064

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 657]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 16, 2023/कार्तिक 25, 1945

No. 657]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 16, 2023/KARTIKA 25, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 840(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप खंड-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ग' (साधारण ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेड्समैन) काडर भर्ती नियम, 2010 को, जहां तक उनका संबंध सिपाही (मोची), हवलदार (मोची), सिपाही (नाई/हेयर ड्रेसर), सिपाही (धोबी पुरुष/महिला) और सिपाही (सफाई कर्मचारी) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय में सिपाही (मोची), हवलदार (मोची), सिपाही (नाई-सह-हेयर ड्रेसर), हवलदार (नाई-सह-हेयर ड्रेसर), सिपाही (धोबी पुरुष-सह-महिला), हवलदार (धोबी पुरुष-सह-महिला), सिपाही (सफाई कर्मचारी), हवलदार (सफाई कर्मचारी) के पदों पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ट्रेड्समैन संवर्ग (समूह-‘ग’ पद) भर्ती नियम, 2023 है।  
(2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) “सक्षम प्राधिकारी” से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) “महानिदेशक” से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक अभिप्रेत है।

(ग) शेष-1, ऐसे चिकित्सा श्रेणी को निर्दिष्ट करता है जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2008 के स्थायी आदेश संख्या 04 तारीख 15 दिसंबर, 2008 तथा उसके महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन में विनिर्दिष्ट है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित हैं, किन्तु जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

4. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

6. रखरखाव.—खाली रह गए प्रत्येक पद और उसके बाद उत्पन्न होने वाली प्रत्येक रिक्ति को उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट उपबंधों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा।

7. ज्येष्ठता.—ज्येष्ठता, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी।

8. निरर्हता.—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

9. गैर-भारतीय नागरिकों की अपात्रता.—वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, इन नियमों के अधीन लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा:

परंतु इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नेपाल अथवा भूटान के नागरिकों को बल में नियुक्ति या नियोजित करने से वर्जित नहीं किया जाएगा।

10. अधिवर्षिता.—(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति जिस माह में साठ वर्ष की आयु पूरी करता/करती है उस महीने के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त होगा या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जैसा विहित किया जाए।

परंतु वह व्यक्ति की जिसकी जन्म तारीख महीने की पहली तारीख को है, वह साठ वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने के पूर्ववर्ती महीने के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित आयु के पश्चात सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा।

11. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपाबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

12. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

13. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो उस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या गैर-चयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सिपाही (मोची)	<b>619*(2023)</b> * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-‘ग’ अराजपत्रित, अननुसचिवीय योद्धक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 ( 21700-69100 रुपए )	लागू नहीं होता

### सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा

(6)

आयु 18 से 23 वर्ष के बीच

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक छूट अनुज्ञेय है )

**टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर-नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का जिला लाहौल और स्पिति तथा चम्बा जिले के पांगी उप मंडल और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

### सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं

(7)

(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।

(ii) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही (मोची) के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित स्कीम के अनुसार लागू होंगे; और

(iii) भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित सिपाही (मोची) के लिए विहित शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	2 वर्ष टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम 2 सप्ताह की अवधि का प्रवेशन प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	सीधी भर्ती द्वारा।
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेदन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्ठीकरण समिति (पुष्ठीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित है- 1. उप महानिरीक्षक या कमांडेंट —अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट:- सदस्य 3. सहायक कमांडेंट-सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.हवलदार (मोची)	237* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय योद्धक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: सिपाही (मोची) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3(21700-69100 रुपए) के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: अभ्यर्थी, चिकित्सा श्रेणी शेष-1 में हो; और अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा,	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित है:- 1. उप महानिरीक्षक या कमांडेंट — अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट:- सदस्य 3. सहायक कमांडेंट-सदस्य	लागू नहीं होता

परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या 2 वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. सिपाही (नाई-सह-हेयर ड्रेसर)	1786*(2023) पुरुष-1754 और महिला-32, * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-‘ग’ अराजपत्रित, अननुसचिवीय योद्धक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रुपए)	लागू नहीं होता

(6)
<p>आयु 18 से 23 वर्ष के बीच</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक छूट अनुज्ञेय है )</p> <p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का जिला लाहौल और स्पिति तथा चम्बा जिले के पांगी उप मंडल और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>

(7)
<p>(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>(ii) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही (नाई-सह-हेयर ड्रेसर) के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित स्कीम के अनुसार लागू होंगे; और</p> <p>(iii) भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित सिपाही (नाई-सह-हेयर ड्रेसर) के लिए विहित शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।</p>

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	2 वर्ष टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम 2 सप्ताह की अवधि का प्रवेशन प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्ठीकरण समिति (पुष्ठीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित है- 1. उप महानिरीक्षक या कमांडेंट – अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट - सदस्य 3. सहायक कमांडेंट- सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. हवलदार (नाई-सह-हेयर ड्रेसर)	350* (2023) पुरुष- 328 और महिला- 22, * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय योद्धक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: सिपाही (नाई-सह-हेयर ड्रेसर) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रुपए) के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अभ्यर्थी, चिकित्सा श्रेणी शेष-1 में हो; और अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या 2 वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित है:-</p> <p>1. उप महानिरीक्षक या कमांडेंट – अध्यक्ष</p> <p>2. उप कमांडेंट - सदस्य</p> <p>3. सहायक कमांडेंट -सदस्य</p>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. सिपाही (धोबी पुरुष-सह-महिला)	2179* (2023) पुरुष-2165 और महिला-14, * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय योद्धक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रुपए)	लागू नहीं होता

<b>(6)</b>
<p>आयु 18 से 23 वर्ष के बीच</p> <p>( केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक छूट अनुज्ञेय है )</p> <p><b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का जिला लाहौल और स्पिति तथा चम्बा जिले के पांगी उप मंडल और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>

<b>(7)</b>
<p>(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>(ii) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही (धोबी पुरुष-सह-महिला) के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित स्कीम के अनुसार लागू होंगे; और</p> <p>(iii) भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित सिपाही (धोबी पुरुष-सह-महिला) के लिए विहित शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।</p>

<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>
लागू नहीं होता	<p>2 वर्ष</p> <p><b>टिप्पण:</b> केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम 2 सप्ताह की अवधि का प्रवेशन प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।</p>	सीधी भर्ती द्वारा।

<b>(11)</b>	<b>(12)</b>	<b>(13)</b>
लागू नहीं होता	<p>विभागीय पुष्ठीकरण समिति (पुष्ठीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित है-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उप महानिरीक्षक या कमांडेंट – अध्यक्ष</li> <li>2. उप कमांडेंट:- सदस्य</li> <li>3. सहायक कमांडेंट-सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।

<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
6.हवलदार (धोबी पुरुष-सह-महिला)	<p><b>427* (2023)</b></p> <p>पुरुष- 425 और महिला-02,</p> <p>* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।</p>	<p>साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग',</p> <p>अराजपत्रित, अननुसचिवीय योद्धक</p>	<p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए)</p>	चयन

<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति: सिपाही (धोबी पुरुष-सह-महिला) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रूपए) के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अभ्यर्थी, चिकित्सा श्रेणी शेप-1 में हो; और अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या 2 वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उप महानिरीक्षक या कमांडेंट – अध्यक्ष</li> <li>2. उप कमांडेंट:- सदस्य</li> <li>3. सहायक कमांडेंट-सदस्य</li> </ol>	<p>लागू नहीं होता</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>7. सिपाही (सफाई कर्मचारी)</p>	<p><b>3425* (2023)</b> पुरुष-3365 और महिला-60, * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।</p>	<p>साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-‘ग’ अराजपत्रित, अननुसचिवीय योद्धक</p>	<p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रूपए)</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

(6)
<p>आयु 18 से 23 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक छूट अनुज्ञेय है )</p> <p><b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का जिला लाहौल और स्पिति तथा चम्बा जिले के पांगी उप मंडल और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>

(7)
<ol style="list-style-type: none"> <li>(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।</li> <li>(ii) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही (सफाई कर्मचारी) के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित स्कीम के अनुसार लागू होंगे; और</li> </ol>



(iii) भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लिखित सिपाही (सफाई कर्मचारी) के लिए विहित शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	2 वर्ष टिप्पण: केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम 2 सप्ताह की अवधि का प्रवेशन प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित है- 1. उप महानिरीक्षक या कमांडेंट – अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट:- सदस्य 3. सहायक कमांडेंट-सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. हवलदार (सफाई कर्मचारी)	952* (2023) पुरुष- 928 और महिला-24, * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय योद्धक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपए)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: सिपाही (सफाई कर्मचारी) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रूपए) के ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1: अभ्यर्थी, चिकित्सा श्रेणी शेष-1 में हो; और अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित है:- 1. उप महानिरीक्षक या कमांडेंट – अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट:- सदस्य 3. सहायक कमांडेंट-सदस्य	लागू नहीं होता

<p>या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या 2 वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>		
--	--	--

[फा. सं. आर.नौ.1/2023-संगठन(ट्रेड्समैन)]

ललित कपूर, उप सचिव (कार्मिक-2)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2023

**G.S.R. 840(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force Group ‘C’ (General Duty/Technical/Tradesmen) Cadre Recruitment Rules, 2010, in so far as they relate to the posts of Constable (Cobbler), Head Constable (Cobbler), Constable (Barber/Hair Dresser), Constable (Washer man/women) and Constable (Safai Karmachari), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Constable (Cobbler), Head Constable (Cobbler), Constable (Barber-cum-Hair Dresser), Head Constable (Barber-cum-Hair Dresser), Constable (Washer man-cum-women), Head Constable (Washer man-cum-women), Constable (Safai Karmachari), Head Constable (Safai Karmachari) in the Central Reserve Police Force, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Tradesmen Cadre (Group ‘C’ Posts) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “Competent authority” means the appointing authority or the authority referred to in the Central Reserve Police Force Act, 1949, and the Central Reserve Police Force Rules, 1955;

(b) “Director General” means the Director General, Central Reserve Police Force;

(c) “SHAPE-I” refers to the medical category as specified under the Central Reserve Police Force Standing Order No. 04 of 2008, dated the 15th December, 2008 and subsequent amendments made by the Directorate General, Central Reserve Police Force from time to time.

(2) Words and expressions used herein and not defined shall have the same meanings assigned to them in the Central Reserve Police Force Act, 1949 and the Central Reserve Police Force Rules, 1955.

3. **Application.**— These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**— The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

5. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

6. **Maintenance.**— Every post remained unfilled and every vacancy that may arise thereafter shall be filled in accordance with the provisions as specified in the said Schedule and the procedure as may be specified by the Central Government from time to time.

7. **Seniority.**— Seniority shall be regulated in accordance with the Central Reserve Police Force Rules, 1955 and general instructions issued by the Central Government from time to time.

8. **Disqualification.**— No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,  
 shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. **Ineligibility of non-citizens of India.**-No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

10. **Superannuation.**-(1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time :

Provided that a person whose date of birth is on the first day of a month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years or superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

11. **Power to relax.**-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

12. **Saving.**-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

13. **Interpretation.**- If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Central Government.

#### SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Constable (Cobbler).	619* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatant.	Level-3 in the pay matrix (Rs. 21700- 69100).	Not applicable.

#### Age-limit for direct recruits.

(6)

Between 18 and 23 years of age.

(Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

**Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.

(7)

(i) 10th class pass from a recognised Board;

(ii) Physical and Medical standard for recruitment to the post of Constable (Cobbler) in the Central Reserve Police

Force shall be applicable as per the Scheme prescribed by the Central Government from time to time; and (iii) the candidate shall qualify physical efficiency test, written examination and trade test as prescribed for Constable (Cobbler) mentioned in the advertisement for recruitment.
---

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. <b>Note :</b> There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of - 1. Deputy Inspector General or Commandant - Chairperson; 2. Deputy Commandant - Member; 3. Assistant Commandant - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Head Constable (Cobbler).	237* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatant.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Constable (Cobbler) in level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) with five years regular service in the grade. <b>Note 1:</b> The candidate shall be in medical category SHAPE-I; and has good record of service. <b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of - 1. Deputy Inspector General or Commandant - Chairperson; 2. Deputy Commandant - Member; 3. Assistant Commandant - Member.	Not applicable.

requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Constable (Barber -cum- Hair Dresser).	1786* (2023) Male-1754 and Female-32, *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatant.	Level-3 in the pay matrix (Rs. 21700- 69100).	Not applicable.

(6)
Between 18 and 23 years of age.  (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)
(i) 10th class pass from a recognised Board; (ii) Physical and Medical standard for recruitment to the post of Constable (Barber-cum-Hair Dresser) in the Central Reserve Police Force shall be applicable as per the Scheme prescribed by the Central Government from time to time; and (iii) the candidate shall qualify physical efficiency test, written examination and trade test as prescribed for Constable (Barber-cum-Hair Dresser) mentioned in the advertisement for recruitment.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. <b>Note:</b> There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of - 1. Deputy Inspector General or Commandant - Chairperson; 2. Deputy Commandant - Member; 3. Assistant Commandant - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Head Constable (Barber-cum-Hair Dresser).	350* (2023) Male-328 and Female-22, *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted,	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500- 81100).	Selection.

		Non-Ministerial, Combatant.		
--	--	--------------------------------	--	--

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Constable (Barber-cum-Hair Dresser) in level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) with five years regular service in the grade.</p> <p><b>Note 1:</b> The candidate shall be in medical category SHAPE-I; and has good record of service.</p> <p><b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of -</p> <p>1. Deputy Inspector General or Commandant - Chairperson;</p> <p>2. Deputy Commandant - Member;</p> <p>3. Assistant Commandant - Member.</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Constable (Washer man-cum-women).	2179* (2023) Male-2165 and Female-14, *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatant.	Level-3 in the pay matrix (Rs. 21700- 69100).	Not applicable.

(6)
<p>Between 18 and 23 years of age.</p> <p>(Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p>

(7)
<p>(i) 10th class pass from a recognised Board;</p> <p>(ii) Physical and Medical standard for recruitment to the post of Constable (Washer man-cum-women) in the Central Reserve Police Force shall be applicable as per the Scheme prescribed by the Central Government from time to time; and</p> <p>(iii) the candidate shall qualify physical efficiency test, written examination and trade test as prescribed for Constable (Washer man-cum-women) mentioned in the advertisement for recruitment.</p>

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. <b>Note:</b> There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of - 1. Deputy Inspector General or Commandant - Chairperson; 2. Deputy Commandant - Member; 3. Assistant Commandant - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Head Constable (Washer man-cum- women).	427* (2023) Male-425 and Female-02, *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatant.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500- 81100).	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Constable (Washer man-cum-women) in level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100) with five years regular service in the grade. <b>Note 1:</b> The candidate shall be in medical category SHAPE-I; and has good record of service. <b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of - 1. Deputy Inspector General or Commandant - Chairperson; 2. Deputy Commandant - Member; 3. Assistant Commandant - Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7. Constable (Safai Karmachari).	3425* (2023) Male-3365 and Female-60, *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatant.	Level-3 in the pay matrix (Rs. 21700- 69100).	Not applicable.

<b>(6)</b>
Between 18 and 23 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). <b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

<b>(7)</b>
(i) 10th class pass from a recognised Board; (ii) Physical and Medical standard for recruitment to the post of Constable (Safai Karmachari) in the Central Reserve Police Force shall be applicable as per the Scheme prescribed by the Central Government from time to time; and (iii) the candidate shall qualify physical efficiency test, written examination and trade test as prescribed for Constable (Safai Karmachari) mentioned in the advertisement for recruitment.

<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>
Not applicable.	Two years. <b>Note:</b> There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment.

<b>(11)</b>	<b>(12)</b>	<b>(13)</b>
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of - 1. Deputy Inspector General or Commandant - Chairperson; 2. Deputy Commandant - Member; 3. Assistant Commandant - Member.	Not applicable.

<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
8. Head Constable (Safai Karmachari).	952* (2023) Male-928 and Female-24, *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial, Combatant.	Level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100).	Selection.

<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

<b>(11)</b>	<b>(12)</b>	<b>(13)</b>
Promotion: Constable (Safai Karmachari) in level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. <b>Note 1:</b> The candidate shall be in medical category	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of - 1. Deputy Inspector General or Commandant - Chairperson;	Not applicable.



<p>SHAPE-I; and has good record of service.</p> <p><b>Note 2:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>2. Deputy Commandant - Member;</p> <p>3. Assistant Commandant - Member.</p>	
--	--	--

[F. No. R.IX-1/2023-Org (Tradesmen)]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers-II)